# स्वच्छ भारत मिशन–अर्बन

विदित है कि भारत सरकार भारत सरकार द्वारा **स्वच्छ भारत मिशन (SBM)** कार्यक्रम का शुभारम्भ माननीय प्रधानमन्त्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2014 को किया गया। इस कार्यक्रम की मिशन अवधि 5 वर्ष अर्थात् 02 अक्टूबर, 2014 से 02 अक्टूबर, 2019 तक है। 02 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी की 150वीं जयन्ती के पूर्व देश के शहरी क्षेत्रों में शत प्रतिशत स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्यवाही समयबद्ध तरीके से की जानी है।

जिसके अन्तर्गत प्रदेश के सभी 635 नगर निकाय आच्छादित हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के लिए निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

**"स्वच्छ भारत मिशन" (एस.बी.एम.) कार्यक्रम का उद्देश्य–**

1. खुले में शौच की प्रथा को पूर्णतया समाप्त करना।
2. "मैन्यूअल स्कैवैन्जिंग" प्रथा का उन्मूलन (eradicate) करना।
3. अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करना।
4. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की आधुनिक व वैज्ञानिक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
5. स्थानीय समुदाय में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति आदतों एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना, सफ़ाई के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा लोक स्वास्थ्य से जोड़ना।
6. कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य मिशन निदेशालय/नगर निकाय स्तर पर "कैपेसिटी बिल्डिंग" का कार्य।
7. निजी सहभागिता एवं पी.पी.पी. मोड पर कार्यों को कराये जाने का वातावरण तैयार करना।

**"स्वच्छ भारत मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य–**

1. नये घरेलू स्वच्छ शौचालय का निर्माण कार्य।
2. पिट–युक्त शौचालय को स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित करने सम्बन्धी निर्माण कार्य।
3. इन–सैनीटरी (बहाव/उठाऊ/सर्विस) शौचालय को स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित किये जाने सम्बन्धी निर्माण कार्य।
4. सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य।
5. सार्वजनिक स्थलों के निकट सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य।
6. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना का निर्माण कार्य।
7. राज्य मिशन निदेशालय/नगर निकाय स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग (क्षमता संवर्धन) एवं प्रशासनिक/अन्य कार्य।
8. जन–जागरूकता (Public Awareness) एवं जन–सहभागिता (Public Participation) तथा आइ.ई.सी. सम्बन्धी कार्य।
9. "सिटी सैनिटेशन प्लान" एवं तद्नुसार "स्टेट सैनिटेशन प्लान" सम्बन्धी कार्य।

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु देश के सभी 4041 नगरों में वित्त पोषण का स्वरूप तैयार किया गया है, जिसके क्रम में निम्नानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है:–

1. प्रत्येक नये स्वच्छ शौचालय हेतु–रू. 15000/– से रू. 20000/– तक (निर्माण सामग्री के अनुसार)।
2. नये स्वच्छ शौचालय का निर्माण कार्य तथा पिट–युक्त शौचालय व अस्वच्छ शौचालय को स्वच्छ शौचालय में परिवर्तन के कार्य हेतु केन्द्रांश की अधिकतम प्रोत्साहन धनराशि–रू. 4000/– प्रति शौचालय।
3. सामुदायिक शौचालयों, जिसमें प्रति 35 पुरूष हेतु 1 सीट तथा प्रति 25 महिला हेतु 1 सीट के अनुसार व्यवस्था हो, के लिये रू. 65000/– प्रति सीट की दर से लागत का प्राविधान–अधिकतम 40 प्रतिशत वी.जी.एफ़. (Viability Gap Funding)/अनुदान (Grant)।
4. सार्वजनिक शौचालयों, जिसमें प्रति 100 पुरूष हेतु 1 सीट तथा प्रति 50 महिला हेतु 1 सीट के लिये रू. 75000/– प्रति सीट की दर से लागत का प्राविधान–शून्य।

5. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु रू. 1500/– प्रति व्यक्ति की दर से लागत का प्राविधान–अधिकतम 20 प्रतिशत वी.जी.एफ. (Viability Gap Funding)/अनुदान (Grant )।
6. कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम हेतु–प्रस्तावित कुल केन्द्रांश की धनराशि का 3 प्रतिशत।
7. पब्लिक अवेयरनेस व आइ.ई.सी. कार्यों हेतु–प्रस्तावित कुल केन्द्रांश की धनराशि का 15 प्रतिशत, जिनमें 12 प्रतिशत धनराशि राज्य एवं सम्बंधित नगर निकायों के स्तर पर व्यय हेतु।
8. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना की डी.पी.आर. की रचना पर व्यय–शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

स्वच्छ भारत मिशन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों की 635 नगर निकायों में भारत सरकार की अपेक्षा के अनुसार सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तैयार किये गये ''कॉन्सेप्ट नोट/कार्य योजना'' को शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत करते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु प्रस्तावित रू. 221.7765 करोड़ केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष कुल रू. 86.07 करोड़ केन्द्रांश की धनराशि (SWM, Toilet, IEC, CB) दिनांक 30 मार्च, 2015 को अवमुक्त की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में भी Toilet मद में 72.00 लाख की धनराशि दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 को अवमुक्त की जा चुकी है। इस धनराशि को नगर निकायों में अन्तरण करने हेतु राज्य स्तर पर पंजाब नेशनल बैंक में बैंक खाता खोला जा चुका है एवं निकाय स्तरीय खातें खोलने की कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण हो जायेगी।

कार्यक्रम के समयबद्ध संचालन एवं उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिये तथा भारत सरकार की अपेक्षा के दृष्टिगत राज्य–स्तरीय हाई पावर्ड कमेटी'' (एस.एच.पी.सी.) का गठन मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में किया गया है।

इस कार्यकक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रसारित District Level Review and Monitoring Committee (DLRMC) गाइडलाइन्स के अनुसार DLRMC समिति का गठन किये जाने के सन्दर्भ में निर्देश निर्गत किया जा चुका है।

भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग एवं समीक्षा हेतु नेशनल पोर्टल **https://swachhbharaturban.gov.in** तैयार कराया गया है, जिस पर सभी नगर निकायों द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं के सन्दर्भ में **मास्टर डेटा–इण्ट्री/अपलोड** करने की कार्यवाही की जानी है:–

- वार्ड/निकाय स्तरीय विभिन्न सूचनायें
- स्वच्छ सिटी टैम्पलेट/स्वच्छ सिटी प्लान
- IHHL हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं इससे सम्बन्धित सूचनायें तथा फोटोग्राफ्स अपलोड करना
- पब्लिक तथा कम्यूनिटी शौचालय से सम्बन्धित सूचनायें एवं फोटोग्राफ्स अपलोड करना
- ई–लर्निंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवम् इसका नियमित प्रयोग
- स्वच्छता अभियान से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स अपलोड करना
- निकाय सम्बन्धी अन्य सूचनायें

स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल **https://swachhbharaturban.gov.in** पर **ऑन–लाइन मास्टर डेटा–इण्ट्री** हेतु समस्त नगर निकायों को एस0बी0एम0 लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है परन्तु यह बिन्दु प्रकाश में आया है कि पोर्टल पर सूचनायें भरने एवं फोटोग्राफ्स अपलोड करने में कुछ निकायों को तकनीकी समस्या आ रही है। इसी सन्दर्भ में एक दिवसीय लाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन निदेशालय स्तर पर प्रारम्भ कर दिया गया है जिसमे मण्डल/जिला वार निकायों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

व्यक्तिगत शौचालय IHHL हेतु आवेदनों के सन्दर्भ में यह बिन्दु प्रकाश में आया है कि कुछ नगर निकायों द्वारा नागरिकों से मैनुवल आवेदन प्राप्त कर लिये गये हैं, परन्तु ऑनलाइन डेटा फीडिंग कतिपय कारणों से स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर नही किया जा सका है। नगर पंचायतों/छोटी नगर पालिका परिषदों में इन्टरनेट एवं कम्प्यूटर की उचित व्यवस्था न होने के कारण ऑनलाइन आवेदन करने में नागरिकों को असुविधा हो रही है। इन्हीं बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा व्यक्तिगत शौचालय से सम्बन्धित ऑनलाइन आवेदनों को स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर भरने, फोटोग्राफ्स अपलोड करने इत्यादि कार्यों में मदद हेतु मेसर्स सी0एस0सी0 ई–गवर्नेन्स सर्विसेज इण्डिया लिमिटेड से अनुबन्ध किया गया है। ऑनलाइन आवेदनों से सम्बन्धित भुगतान भारत सरकार द्वारा सीधे मेसर्स सी0एस0सी0 को किया जायेगा, नागरिकों अथवा नगर निकायों को इस कार्य हेतु कोई भी धनराशि संस्था को नही देनी है।

| Phase | Name of Service/Work Done by CSCs | Fee Payable (in Rs.) |
|---|---|---|
| 1. | Complete filling of application form with beneficiary's photo upload | 10 |
| 2. | Scanned copy of individuals's passbook upload | 5 |
| 3. | 1geo tagged photograph uploading of final work | 5 |

इस सन्दर्भ में सभी नगर निकायों को निर्देश जारी कर दिया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश

एक कदम स्वच्छता की ओर

प्रेषक,

निदेशक / मिशन निदेशक (स्वच्छ भारत मिशन)
नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0,

सेवा में,

1. समस्त नगर आयुक्त
नगर निगम, उ0प्र0

2. समस्त अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उ0प्र0।

विषयः स्वच्छ भारत मिशन के कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में।

पत्रांकःपीएमयू / 1098 /4235BM/2015 लखनऊःःदिनांक 21 नवम्बर, 2015

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम का 2 अक्टूबर 2014 को मा0 प्रधान मंत्री भारत सरकार द्वारा शुभारम्भ किया गया है तथा प्रस्तावित समस्त कार्यो को 2 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण किया जाना है। अभी तक प्रगति काफी धीमी है तथा भारत सरकार द्वारा की जा रही पाक्षिक प्रगति की समीक्षा में भी प्रदेश की स्थिति उचित परिलक्षित नही हो रही है। विशेषतौर पर IHHL के लिये जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये है उनके सत्यापन तथा स्वीकृति की जो सूचनायें भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड की जा रही है वे प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर लगभग नगण्य है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस ओर अपना व्यक्तिगत् ध्यान देते हुये प्रतिदिन समीक्षा की जानी सुनिश्चित करें तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रगति लायी जानी भी सुनिश्चित करें, उक्त के अतिरिक्त निर्मित शौचालयों तथा निर्माणाधीन शौचालयों की प्रगति एवं इन्हें भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किये जाने की प्रगति भी अत्यधिक धीमी है अतः इस कार्य की भी उपरोक्तानुसार समीक्षा की जाये तथा यदि भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किये जाने में कठिनाईया आ रही है तो इस कार्यालय को अवगत कराये तथा श्री अनूप द्विवेदी, एम0आई0एस0 एक्सपर्ट से दूरभाष संख्या–8090098851 पर सम्पर्क कराकर इसके निराकरण सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(अजय दीप सिंह)
निदेशक / एस0एल0एन0ए0

प्रतिलिपि–

1. सचिव, नगर विकास अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन को उक्त पत्र के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।
2. जूनियर प्रोग्रामर को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने के साथ–साथ निदेशालय की वेब साईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(अजय दीप सिंह)
निदेशक / एस0एल0एन0ए0

आठवां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ-226001
दूरभाष: 0522-2287234 | फैक्स: 0522-2288875 | वेबसाइट: www.localbodies.up.nic.in
ई-मेल: diruplb@nic.in, sbmdlbup@gmail.com